vè;k; 2

y[kkijh{kk nf"Vdks.k ,oa dk;Zi.kkyh

2-1 ys[kkijh{kk mís';

यह लेखापरीक्षा निम्नलिखित विशिष्ट उद्देश्यों के संदर्भ में एन.एफ.एस.ए. के कार्यान्वयन के लिए तैयारी की स्थिति का निर्धारण करता है:

i) कि क्या राज्यों/सं.शा. क्षेत्रों ने पात्र परिवारों की पहचान की थी तथा पहचान किए गए सभी पात्र लाभार्थियों को राशन कार्ड जारी किए थे।

ii) कि क्या राज्यों/सं.शा. क्षेत्रों के पास अपेक्षित अवसंरचना थी और वे परिवहन और भण्डारण क्षमता में वृद्धि के लिए उसे बढ़ा रहे थे।

iii) कि क्या राज्यों/सं.शा. क्षेत्रों ने द्वारा तक सुपूर्दगी तथा कम्प्यूटरीकरण के संबंध में लक्षित लोक संवितरण प्रणाली में सुधार शुरू कर दिया था।

iv) कि क्या राज्यों/सं.शा. क्षेत्रों ने एन.एफ.एस.ए. के प्रावधानों के अनुसार खाद्य सुरक्षा भत्ते सहित शिकायत निवारण प्रणाली को स्थापित किया था तथा क्या प्रभावी मॉनीटरिंग तंत्र स्थापित किया गया था।

2-2 ys[kkijh{kk dk dk;Z{ks= ,oa ys[kkijh{kk uewuk

प्रस्तावित लेखापरीक्षा में जुलाई 2013 से मार्च 2015 तक की अवधि शामिल की गई थी तथा उसमें उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं लोक संवितरण तथा चयनित राज्यों में संगत विभाग में मंत्रीमंडल टिप्पणियों एवं अन्य अभिलेखों तथा अन्य साक्ष्य की संवीक्षा शामिल थी। स्थान तथा तैयारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आठ राज्यों तथा एक संघ–शासित क्षेत्र को चुना गया था जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

iw.kZr dk;kZfUor[4]	vka'kr% dk;kZfUor[5]	dk;kZfUor ugha
छत्तीसगढ़	दिल्ली	असम
कर्नाटक	बिहार	झारखण्ड[6]
महाराष्ट्र	हिमाचल प्रदेश	उत्तर प्रदेश

निम्नलिखित सांख्यिकीय नमूने के चयन हेतु ढांचे का प्रयोग किया गया था :

- प्रत्येक चयनित राज्य को भौगोलिक निकटता के आधार पर क्षेत्रों में विभाजित किया गया था।

[4] वे राज्य/सं.शा. क्षेत्र जिन्होने सभी लाभभोगियों की पहचान का दावा किया है पूर्णत कार्यान्वित राज्य/सं.शा. क्षेत्र माने जाते है।
[5] वे राज्य/सं.शा. क्षेत्र जिन्होने सभी लाभभोगियों की पहचान का दावा किया है पूर्णत कार्यान्वित राज्य/सं.शा. क्षेत्र माने जाते है।
[6] झारखण्ड सरकार ने अक्तूबर 2015 से एन.एफ.एस.ए. को कार्यान्वित करना शुरू कर दिया है।

- आकार माप के साथ विभिन्न क्षेत्रों से स्वतन्त्र रूप से बिना प्रतिस्थापन के आकार के अनुसार संभावना अनुपात (पी.पी.एस.डब्लू.ओ.आर.) विधि का प्रयोग करते हुए वर्ष 2013–14 के दौरान संबंधित जिले को जारी खाद्यान की कुल प्रमात्रा (100 टन में) के रूप में न्यूनतम दो जिलों की शर्त पर 20 प्रतिशत जिले चुने गए थे।
- प्रत्येक नमूना जिला में, प्रतिस्थापन के बिना साधारण यादृच्छिक नमूने (एस.आर.एस.डब्लू.ओ.आर.) को प्रयोग करते हुए दो ब्लॉक/सर्किल/तालूका चुने गए थे।
- प्रत्येक नमूना ब्लॉक/सर्किल/तालूका में, पुनः एस.आर.एस.डब्लू.ओ.आर. का प्रयोग करते हुए चार उचित मूल्य दुकानें (एफ.पी.एस.) चुनी गई थी।

इस प्रकार प्रत्येक चयनित जिले में, दो ब्लॉकों/सर्किलों/तालूका और 8 एफ.पी.एस. की लेखापरीक्षा की गई थी। कुल मिलाकर, 42 जिले, 84 ब्लॉक और 336 एफ.पी.एस लेखापरीक्षा हेतु चुने गए थे। नमूना चयन के ब्यौरे vucek 2-1 में दिए गए है।

2-3 y[kkijh{kk ekin.M d lkr

विभिन्न प्रारम्भिक कार्यों के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा दस्तावेजों के निम्नलिखित स्रोतों से उद्धृत मापदण्ड के संदर्भ में की गई थीः

i. मंत्रीमण्डल टिप्पणियां

ii. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013

iii. 2001 तथा 2015 के लोक संवितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश

iv. टीपीडीएस परिचालनों के शुरू से अन्त तक कम्प्यूटरीकरण के योजना दिशानिर्देश

v. राज्य/सं.शा. सरकारों को मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेश

vi. उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं लोक संवितरण मंत्रालय की स्थायी समिति की सिफारिशें

vii. समय–समय पर कार्यान्वयन हेतु राज्य/सं.शा.क्षे. सरकारों द्वारा जारी अनुदेश

viii. राज्यों/सं.शा. सरकारों के साथ मंत्रालय का पत्राचार

2-4 y[kkijh{kk i)fr rFkk e=ky; dk mÙkj

लेखापरीक्षा 18 मई 2015 को मंत्रालय के साथ एक प्रवेश सम्मेलन के साथ प्रारम्भ की गई थी जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, कार्य क्षेत्र तथा पद्धति को स्पष्ट किया गया

था। प्रवेश सम्मेलनों का राज्य स्तर पर भी आयोजन किया गया था।

लेखापरीक्षा दलों ने उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं लोक संवितरण मंत्रालय, नौ चयनित राज्यों/सं.शा.क्षे. में जिलों, ब्लाकों तथा उचित मूल्य दूकानों में एन.एफ.एस.ए. के कार्यान्वयन संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा की। लेखापरीक्षा की समाप्ति के पश्चात्, सितम्बर 2015 से नवम्बर 2015 के दौरान नौ राज्यों में निर्गम सम्मेलनों का आयोजन किया गया था जबकि मंत्रालय में इसे 9 नवम्बर 2015 को आयोजित किया गया था। मंत्रालय को 30 अक्तूबर 2015 को पृथक प्रतिवेदन जारी की गई थी। मंत्रालय का उत्तर 26 नवम्बर 2015 को प्राप्त किया गया था। मंत्रालय तथा राज्यों से प्राप्त उत्तरों पर विचार किया गया है तथा इस प्रतिवेदन को तैयार करते समय उन्हें उचित रूप से शामिल किया गया है।

इस प्रतिवेदन में छः अध्याय हैं। इस प्रतिवेदन को अध्याय 1 तथा 2 एन.एफ.एस.ए. पर पृष्ठभूमि सूचना तथा हमारा लेखापरीक्षा दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। अध्याय 3,4,5 तथा 6 क्रमशः लाभार्थियों की पहचान तथा राशन कार्ड जारी करने, लोजिस्टिक में तैयारी, टीपीडीएस में सुधार, शिकायत समाधान तंत्र तथा मानीटरिंग पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष प्रदान करते हैं।

2-5 vkHkkj i;dV

लेखापरीक्षा मंत्रालय, राज्य विभागों/अभिकरणों तथा उनके कर्मचारियों द्वारा इस लेखापरीक्षा के दौरान प्रदान सहयोग तथा सहायता का आभार प्रकट करती है।